

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2832

दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) में रिक्त पद एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी नीति
2832 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभाग-संबंधित गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समितियां (2025) की उस सिफारिश पर गौर किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) में लगभग 21 प्रतिशत पद रिक्त हैं तथा यह पूर्णतः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से होने वाली प्रतिनियुक्ति पर निर्भर है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार एनडीआरएफ में कर्मचारियों की उपलब्धता में सुधार के लिए मौजूदा सात वर्षीय प्रतिनियुक्ति अवधि की समीक्षा करने तथा बढ़े हुए भत्ते एवं प्रतिनियुक्ति नियमों में लचीलापन लाने जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ग) कार्मिकों की कमी दूर करने के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने तथा एनडीआरएफ और सीएपीएफ के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) 100% प्रतिनियुक्ति बल है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा असम राइफल्स के कर्मियों को 7 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए एनडीआरएफ में तैनात किया जाता है और प्रत्येक वर्ष उन कर्मियों को, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, प्रतिस्थापित किया जाता है किन्तु यह 25% से अधिक नहीं होता है। यह एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है। यह भी बताना है कि भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 से योग्य एनडीआरएफ पदाधिकारियों को आर.एच.ए. मैट्रिक्स के आर2एच2 सेल के 40 प्रतिशत की दर से जोखिम और कठिनाई भत्ता (आर.एच.ए.) देने की मंजूरी दी है।
